भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4220

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

जल संसाधन प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

4220. श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जल संसाधन परियोजनाओं के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की आयोजना, विकास और प्रबंधन में भागीदारी को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे भागीदारी प्रयासों की लागत के संबंध में सरकार द्वारा कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) जल, राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन किया जाता है। राज्य सरकारें परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना के निष्पादन आदि के लिए आवश्यकता के आधार पर निजी कम्पनियों को शामिल करती हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जल नीति, 2012 अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि जल संसाधन परियोजनाओं और सेवाओं का प्रबंधन समुदाय भागीदारी से होना चाहिए। सतत आधार पर बेहतर आपूर्ति के लिए राज्य सरकारें/शहरी जल निकाय सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में निजी क्षेत्र को जोड़ सकते हैं।

*****